दिल्ली विधान तमा तचिवालय

समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी § हृहत्य तिवार, 30 सितम्बर, 1999 / आधिवन 8,1921 शिक्

तंबवा : 52

सदस्या की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान तथा को तंत्रीधित तहायक पुलित आयुक्त, तुल्तान पुरी, दिल्ली का निम्नलिखित तंदेश दिनांक 28.09.1999 को प्राप्त हुआ:-

"मुझे आपको ततस्यान तूचित करना है कि दिल्ली विधान तभा की माननीया तदस्या श्रीमती तुशीला जय किशन को दिल्ली पुलित अधिनियम, 1978 की धारा-65 के अंतर्गत पुलित के विधितस्यत् निर्देशों की अवझा करने के कारण दिनांक 27.09.1999 को अपराह्न 4.55 बजे नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उती दिन अर्थात् दिनांक 27.0% 1999 को अपराहन 6.30 बजे पुलित थाना मुल्तान पुरी, दिल्ली से रिहा कर दिया गया।

> रत. के. शर्मा तिचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Thursday, September 30, 1999/Ashvina 08, 1921 (Saka)

No.52

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following information addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from A.C.P. Sultan Puri, Delhi on 28-09-1999:-

"I have the honour to inform you that Smt. Sushila Jai Kishan, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi was detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of the police on 27.09.1999 at 1655 hrs.

She was released at 1830 hrs. from Police Station Sultan Puri, Delhi, on the same day i.e. 27.09.1999."

S.K. SHARMA SECRETARY